न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2018 निगरानी

1. अहसान उल हक हनफी पुत्र हाफिज इला बकस जाति मुसलमान निवासी हाई स्कूल रोड बांदीकुई जिला दौसा

निगरानीकर्ता

बनाम

1. नगरपालिका बांदीकुई जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बांदीकुई।

गैरनिगरानीकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 327 विरूद्ध आदेश नगरापालिका मण्डल बांदीकुई दिनांक 19.02.2018 जिसके तहत प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण पत्र सं. 56 दिनांक 04.01.2018 को 278.8 वर्ग गज का बांदीकुई में स्थित प्लाट बाबत किया गया है

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
: श्री अनिल कुमार भट्ट अधिवक्ता गैर निगरानीकार ।

—:निर्णयः— दिनांकः 07.06.2018

संक्षिप्त में याचिका के तथ्य इस प्रकार से है कि बांदीकुई में स्थित आवासीय अचल सम्पति जिसका पट्टा दिनांक 19.09.1960 को नगरापालिका बांदीकुई द्वारा श्रीमती अनबरी बेगम पत्नि श्री हाफिज इलाई बकस जाति मुसलमान निवासी बांदीकुई के हक में जारी किया गया था। उक्त अनबरी बेगम के मृत्यु हो जाने पर पारिवारिक समझौते से प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण 278.08 वर्ग गज के उक्त प्लाट का खोलने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर बाद जांच दस्तावेजात एवं अन्य जांच के दिनांक 04.01.2018 को नगरापालिका मण्डल बांदीकुई ने प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण स्वीकार करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के बाद बिना प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये एवं बिना कानूनी प्रावधानो को देखे नगरपालिका मण्डल बांदीकुई ने दिनांक 19.02.2018 को यह आदेश दे दिया की समझौता पत्र पंजीकृत नहीं था। इसलिए पंजीकृत समझौता पत्र के अभाव में जारी नामान्तरकरण पत्र सं. 56 दिनांक 04.01.2018 निरस्त किया जाता हैं और साथ ही यह आदेश दिया की नामान्तरकण पत्र सं. 56 दिनांक 04.01.2018 की मूल प्रति तीन दिवस में कार्यालय हाजा में समर्पण करना सुनिश्चित करे। आप द्वारा समय सीमा में

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण पत्र समर्पण नहीं करने पर आपके विरूद्ध नगरपालिका नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा नगरपालिका मण्डल बांदीकुई के आदेश दिनांक 19.02.2018 के विरूद्ध यह निगरानी याचिका पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की जाकर, नगरपालिका मण्डल बांदीकुई का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा अधिवक्ता निगरानीकार एवं अधिवक्ता गैरनिगरानीकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा याचिका के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध प्रक्रिया एवं नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय यह लिखकर पारित किया है कि पंजीकृत समझौते पत्र के अभाव में नामान्तरकण निरस्त किया जाता है। कानूनन पारिवारिक समझौता पत्र को रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा अनेको निर्णयो मे तय किया गया है। पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड होने की आवश्यकता नहीं है तो इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरकरण निरस्त करने का अधिकार नहीं था। प्रार्थी के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत जांच कर एवं पारिवारिक समझौते के आधार पर किसी के कोई आपत्ति नहीं आने पर विधिवत जारी किया था जो स्वयं अधिशाषी अधिकारी ने ही जारी किया था। उन्होने नामान्तरकरण आदेश क्यो जारी किया एवं बाद मे क्यो निरस्त किया। क्योकि जारी करते वक्त भी पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नही था। एक ही अधिकारी द्वारा दो भिन्न–भिन्न आदेश पारित करके अपने पद का दुरूपयोग किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.12.2016 को लिखावट पारिवारिक समझौता एवं उक्त पारिवारिक समझौता दिनांक 15.12.2016 में संशोधन एवं सहमति एवं स्वीकृति बटवारा दिनांक 05.03.2018 की छाया प्रति पेश कर निवेदन है कि नगरपालिका मण्डल बादीकुई द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2018 को निरस्त फरमाते हुए पूर्व का आदेश दिनांक 04.01.2018 को बहाल करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया की बांदीकुई में स्थित अचल सम्पति आवासीय जिसका पट्टा दिनांक 19.09.1960 नगरपालिका बांदीकुई द्वारा श्रीमती अनबरी बेगम पत्नि श्री हाफिज इलाई बकस जाति मुसलमान निवासी बांदीकुई तहसील बसवा के नाम जारी किया गया था। श्रीमती अनबरी बेगम एंव श्री हाफिज इलाई बकस की मृत्यु के पश्चात पारिवारिक सहमति से उक्त सम्पति आवासीय जिसकी

अति० जिला कलक्टर
बसवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अलग–अलग पैमाईश अनुसार कुल क्षेत्रफल 278.08 वर्ग गज है का नामान्तरकरण प्रस्तुत दस्तावेज, पट्टा के आधार पर नामान्तरकरण पत्र क्रमांक 56 दिनांक 04.01.2018 को श्री अहसान उल हक हन्फि के नाम स्वीकार किया गया है। किन्तु उक्त पारिवारिक समझौता रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण से निगरानीकार को पत्रांक 4220 दिनांक 24.01.2018 द्वारा समझौता पत्र को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत करवाकर सात दिवस में नगरपालिका मण्डल बांदीकुई में प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात समझौता पत्र पंजीकृत करवाकर प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 19.02.2018 को उक्त नामान्तरकरण पत्र सं. 56 दिनांक 04.01.2018 को निरस्त किया जाकर इसकी मूल प्रति कार्यालय नगरपालिका मण्डल बांदीकुई मे समर्पण करने हेतु नोटिस जारी किया गया है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक समझौता दिनांक 15.12.2016 एवं इसमे किये गये संशोधन दिनांक 05.03.2018 की छाया प्रतियो का भी अवलोकन किया। पारिवारिक समझौता पत्र के अनुसार परिवार के सदस्यो में उक्त सम्बन्ध में कोई विरोधाभास होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण नगरपालिका मण्डल बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में नगरपालिका मण्डल बांदीकुई द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.02.2018 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि निगरानीकार को सुनवाई को अवसर देते हुए, पारिवारिक समझौता दिनांक 15.12.2016 एवं इसमे किये गये संशोधन दिनांक 05.03.2018 का अवलोकन कर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा